



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 1389 of 2026

Junaid and another

.....Petitioner(s)

Versus

State of U.P. and 4 others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	: Mohammad Rashid, Mohd Asif, Subir Lal, Sr. Advocate
Counsel for Respondent(s)	: G.A.

Court No. - 42

HON'BLE ATUL SREEDHARAN, J.
HON'BLE ACHAL SACHDEV, J.

1. Heard Sri Mohit Singh, learned Senior Counsel assisted by Sri Subir Lal, learned counsel for the petitioner and learned counsel for the State.
2. The present petition has been filed by the petitioner for issuance of a writ in the nature of habeas corpus. He has been held in custody in FIR Crime No.650 of 2026 under Sections 336 (3), 338, 340(2) of the BNS (corresponding Sections are 467, 468, 471 IPC), Police Station Quarsi, District Aligarh.
3. The petitioner was taken allegedly into custody on 06.08.2026 at 3:00 a.m. and held at Police Chowki Jamalpur, District Aligarh. It is the case of the petitioner that the details have not been furnished in the arrest memo which would otherwise have been in compliance of the judgment of Hon'ble Supreme Court.

4. In this regard, learned Senior Counsel for the petitioner has drawn attention of this Court to the arrest memo which has been filed along with rejoinder affidavit which reflects that the reasons for arrest "मुकदमा उपरोक्त में". Copy of the arrest memo is reproduced hereinbelow:

गिरफ्तारी मेमो

प्रमाणित सं० 650/26 दिनांक 07-08-26

धारा 336(3), 338, 340(2) B.N.S.

थाना अवार्सी जन्मपद इलाहाबाद

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार)
(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)

1. गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	जुनैद उम्र करीब 31 वर्ष
2. गिरफ्तार व्यक्ति के माता/पिता/पति का नाम	कुसुम खातिर
3. गिरफ्तार व्यक्ति का मो०/आधार सं०	मोबाइल नं० 9172 2870 0650
गिरफ्तार व्यक्ति का वर्तमान पता	अमरोल इलाहाबाद अपार्टमेंट अग्रवाल रोड थाना अवार्सी इलाहाबाद
गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	अमरोल इलाहाबाद अपार्टमेंट अग्रवाल रोड थाना अवार्सी जन्मपद इलाहाबाद
प्रमाणित सं० धारातर्गत थाना जन्मपद	मुकदमा सं० धारा 336(3)/338/340(2) B.N.S. थाना अवार्सी जन्मपद इलाहाबाद
गिरफ्तारी का स्थान	अमरोल इलाहाबाद अपार्टमेंट अग्रवाल रोड थाना अवार्सी इलाहाबाद
गिरफ्तारी की तारीख और समय	दि० 07-08-26 स० 00:30 बजे
गिरफ्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जोरों से सूचित किया है उसका नाम, पता, रेलगाड़ी और फोन नंबर/सूचना का माध्यम (धारा 40(1)-BNSS)	जुनैद का दोस्त अमर जुनैद सं० 9389969368

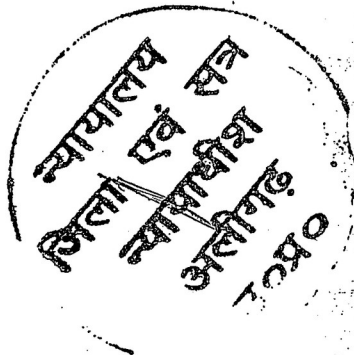
न्यायालय
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलाहाबाद
उ०प्र०

20

10.	मोडल पुलिस अधिकारी को सूचना देने का निगरण (धारा 48(1) BNSS)	श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलाहाबाद जे एल एल से सूचना दी गई
11.	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों का नाम पद और PNO रां0	डि. प्रिमा चौधरी डी. अलासी अलाहाबाद डि. अलाहाबादी डी. सि. अलाहाबादी अलाहाबाद क्रां 2487 विद्यास क्रां 2789 हंसू
12.	गिरफ्तारी के कारण	मुकदमा उपरोक्त है
(A)	पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1)(a)BNSS)	य
(B)	ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	य
(C)	अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	य
(D)	ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को गिराने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छद्म निवारित करने के लिए	य
(E)	ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने से निवारित करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे अपराध का प्रकट करने में रोक न जा सके	य
(F)	किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है जब तक कि उसकी उपस्थिति न्यायालय में उपस्थित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती हो।	य
	गिरफ्तारी के आधार	
(I)	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ साथ वादी मुकदमा दिये गये साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ्तारी आवश्यक है।	मुकदमा उपरोक्त है
(II)	वह सगस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति	जहाँ साक्ष्य नहीं था

	गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई	
(V)	अन्य ऐसी सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि जो कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित है, का विवरण	21
(VI)	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में बीएनएस की किन-किन धाराओं में सामग्री/साक्ष्य है, जो कि गिरफ्तारी के लिये आवश्यक है, का विवरण।	धारा - 336(3), 338, 340(2) BNSS
14.	राज्य व जमानती मामलों में गिरफ्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं (धारा 47(2)BNSS)	घं
15.	शरीर पर कोई चोट अथवा अभिघात आदि के निशान	नहीं
(A)	गिरफ्तारी के दौरान	नहीं
(B)	या अन्यथा	-
16.	गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों/अधिकार/उसकी पसन्द के अधिवक्ता/अधिवक्ता के बारे में बताया गया? (धारा 38 BNSS)	घं

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण एवं आधारों व विधिक अधिकारों के बारे में अभियुक्त को समझ आने वाली भाषा में बतलाया गया तथा माओ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं BNSS के प्रावधानों का गिरफ्तारी के दौरान पालन किया।

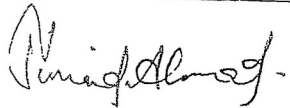


गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व रैंक... प्रिमा चौधरी (प्रो. ऑफिस)
 थाना... बहाली
 दिनांक... 08/08/2026

22

गिरफ्तार (एन एच प्रमाण की)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	रिश्तेदार/निज/नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
	

आरोपी के नाम व हस्ताक्षर:-

क्र.सं.	नाम व पूरा पता व मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
क्र.सं. 1	डॉ. सुकुमार राज - 798308057	अ. ख.
क्र.सं. 2	C 2487 विकास कुमार 8126817453	विकास कुमार

आरोपी के नाम व हस्ताक्षर:-

आरोपी के नाम व हस्ताक्षर:-

5. The grounds of arrest are perfunctory. However, in the course of the arguments, learned Senior Counsel for the petitioner has disclosed an offence against the Court itself by the State.

6. Counter affidavit filed by the State gives a different arrest memo which is reproduced hereinbelow:

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CA-II 9 (19)

प्रत्येक अभियुक्त के लिये अलग - अलग

गिरफ्तारी मेमो

प्रवृत्ति सं० 650/26 दिनांक 07.08.26

धारा 336(3), 338, 340(2) B.N.S.

थाना अवसी जमपद इलाहाबाद

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार)
(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)

1.	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	जुनेद उम्र करीब 39 वर्ष
2.	गिरफ्तार व्यक्ति के माता/पिता/पति का नाम	कुसुमा व्याधिर
3.	गिरफ्तार व्यक्ति का मोनो/आधार सं०	मोबाइल नं० 9172 2870 0650
4.	गिरफ्तार व्यक्ति का वर्तमान पता	रमबोल्ड बुलेवार्ड अपार्टमेंट अग्रपक्ष शेड पक्का अवसी इलाहाबाद
5.	गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	रमबोल्ड बुलेवार्ड अपार्टमेंट अग्रपक्ष शेड पक्का अवसी जमपद इलाहाबाद
6.	प्रवृत्ति सं० धारांतर्गत थाना जनपद	मुं० सं० 650/26 धारा 336(3)/338/340(2) B.N.S. थाना अवसी जमपद इलाहाबाद
7.	गिरफ्तारी का स्थान	पंचूरवादी बाईपास पीपल वाली सड़क गली वहीदमवार पक्का अवसी इलाहाबाद
8.	गिरफ्तारी की तारीख और समय	दि 07.08.26 सु० 00:30 बजे
9.	गिरफ्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जिसे भी सूचित किया है उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर/सूचना का माध्यम धारा 40(4) के तहत	जुनेद का दस्तावेज अग्रपक्ष बुलेवार्ड सं० 9389969368

(Seal and Signature)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

10

	नोडल पुलिस अधिकारी को सूचना देने का विवरण (धारा 48(1) BNSS)	श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध प्रहरी के द्वारा RT सेट से सूचना दी गई।
11.	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों का नाम पद और PNO सं०	५. प्रिया चौधरी डी.एस.आई. अलीम ६. अल्लुवरानी डी. सिविल डी. अलीम ७. २५४७ विद्यास ८. २७४९ हरेन्द्र
12.	गिरफ्तारी के कारण	मुलका अपराध की वारंति कारणों से आशंका अपराध द्वारा मुलवान घटित हो तैयार हो लोग के साथ एक के पैसे किया गया
(A)	पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1)(a)BNSS)	हं
(B)(i)	ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	हं
(ii)	अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	हं
(iii)	ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ निवारित करने के लिए	हं
(iv)	ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका न, जा सके	हं
(v)	क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब उसकी उपस्थिति न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।	हं
13.	गिरफ्तारी के आधार	गिरफ्तारी द्वारा मुलका अपराध प्रहरी के द्वारा RT सेट से सूचना दी गई।
(i)	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ साथ वादी मुकदमा दिये गये साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ्तारी आवश्यक है।	मुकदमा उपलब्ध है
(ii)	वह समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट है।	जहाँ साक्ष्य नहीं कराया
(iii)	वह समस्त सामग्री/बयान/दलील जिसके आधार पर उक्त अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता है।	हं



६

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

	निवेदनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी के समय तक एकत्र की गयी समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई।	मुकदमा नं० १३८९/२६
17	अन्य ऐसी सामग्री-दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि जो कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित है, का विवरण	नहीं
(VI)	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में बीएनएस की किन-किन धाराओं में सामग्री/साक्ष्य है, जो कि गिरफ्तारी के लिये आवश्यक है, का विवरण।	धारा - 336(3), 338, 340(2) BNS
14.	संज्ञित व जमानती मामलों में गिरफ्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं? (धारा 47(2)BNSS)	नहीं
15.	शरीर पर कोई चोट अथवा अभिधात आदि के निशान।	नहीं
(A)	गिरफ्तारी के दौरान	नहीं
(B)	या अन्यथा।	-
16.	यदि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों/रसूफा/उसकी पसन्द के अधिवक्ता से भिन्न वे: बर में बताया गया? (धारा 38 BNSS)	नहीं

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण एवं आधारों व विधिक अधिकारों के बारे में अभियुक्त को समझ आने वाली भाषा में भली भाँति अवगत कराया गया तथा माओ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं BNSS के प्रावधानों का गिरफ्तारी के दौरान पालन किया।

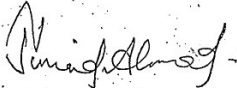
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व रैंक..... प्रिमा चौधरी (उप डीआईओ)
 थाना..... जहाजी
 दिनांक..... 05/08/2026

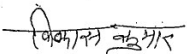


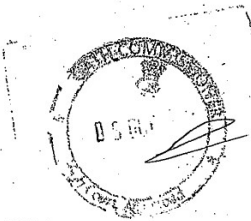
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

सीव (एक प्रति प्राप्त की) 12

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	रिश्तेदार/भिन्न/नाभिला व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
	

गवाहों के नाम व हस्ताक्षर:-

क्र०सं	नाम व पूरा पता व मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
गवाह 1.	डॉक्टर राजी - 7983056850 C-2487 विकास कुमार 8126817453	 
गवाह 2.		



7. Here, Item No.12 shows that there has been addition, which has been made by the Investigating Officer of this case after the arrest memo was given to the petitioner and also the arrest memo that was placed before the remand Magistrate at the time of remand. Similar fabrication has been made by altering Item No.13, wherein the investigating officer has given the grounds of arrest that the petitioner has fabricated valuable security and on the basis of that, he defrauded people. It is necessary to mention here that in the original arrest memo, this was never entered into

by the I.O. and in order to perfect the arrest memo, perhaps after the habeas corpus petition was filed before this Court, by fabricating entries in Item Nos.12 and 13 of the second page of the arrest memo, which clearly reflect that fabricated document was placed before this Court along with the counter affidavit.

8. In order to buttress his argument, learned counsel for the petitioner has filed a rejoinder affidavit, in which he has filed a certified copy of the arrest memo that was placed before the remand Judge, which is identical to the copy of the arrest memo given to the corpus. The certified copy reflects that the unfabricated original document that was placed before the Magistrate at the time of the remand. Thus, it is clear that the fabrication in the said document has been done by the police on a date after the remand proceedings and perhaps after the habeas corpus petition was filed. In the counter affidavit also, the existence of CCTV cameras at the Chowki has been denied, whereas the colour photographs annexed along with the rejoinder affidavit at pages- 26 and 27, clearly show the CCTV cameras on the gate at the entrance to the Chowki. Thus, the police have indulged in fabrication of the arrest memo and perjury before this Court.

9. However, the Court feels that the blame does not lie with the officer who has affirmed the affidavit as it states that it was based upon the information received by him and believe to be true and upon perusal of the record of the case. The deponent of the counter affidavit is not the Investigating Officer in this case and has nothing to do with the case. As regards the documents that he has perused, the same may have been the

one already fabricated by the Investigating Officer. The Court takes serious note of the offence committed by the police before this Court.

10. Thus, the present petition is **allowed** on the grounds of deficiency in disclosing the grounds of arrest, which is perfunctory and inadequate for the petitioner to file a bail application. The petitioner shall be released forthwith, if not required in any other case, without prejudice to re-arrest him, subject to the law laid down by the Supreme Court in **Jaskaran Jeet Singh Deol Vs. State of Punjab, 2026 INSC 1022** .

11. As regards the offence committed by the police before this Court, this Court considers it necessary to direct the Registrar General of this Court to proceed under Section 379 of BNSS for cases mentioned in Section 215 of BNSS, as the offence has been committed in a judicial proceeding. After the inquiry, if the Registrar General is satisfied that *prima facie*, an offence relating to fabrication of documents and perjury has been committed before this Court, on the basis of perusal of the documents/records of this case, in such an eventuality, he shall do the needful and file a case before the Court of competent jurisdiction against those found *prima facie* involved in the offence.

October 14, 2026
rkg/Noman

(Achal Sachdev,J.) (Atul Sreedharan,J.)